न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–113/2019
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम चन्देश्वर मंडल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
29/01/2020	आदेश	

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–267/म0नि0को0, दिनांक 23.03.2019 से प्राप्त सदर (सोनकी) थाना कांड सं0–65/19 दिनांक 18.02.2019 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन हीरो ग्लैमर मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR06AR-3008 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा संध्या गश्ती के दौरान चिकनी मोड़ पर जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा था। इसी क्रम में आ रहे एक मोटरसाईकिल पर सवार एक युवक पुलिस बल को देखकर भागना चाहा, जिसे पुलिस के सहयोग से खदेड़कर पकड़ा गया। उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष पकड़ाये व्यक्ति का तलाशी लिया गया। तलाशी में जैकेट के बायें पॉकेट में 180*ml* का एक बोतल सीलबंद हालत में तथा मोटरसाईकिल की डिक्की की तलाशी में 180*ml* का एक बोतल रॉयल स्टैग का अंग्रेजी शराब हरियाणा निर्मित बरामद हुआ, जिसे उक्त मोटरसाईकिल के साथ विधिवत् जब्त किया गया। पूछताछ में बताया गया कि पीने के लिए लाये थे। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का यह भी कथन है कि शराब की मात्रा को देखते हुए उक्त जब्त वाहन से शराब का व्यापार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अतः विधि सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता

विपक्षी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि वे उक्त जब्त वाहन BR06AR-3008 के मालिक हैं। उक्त घटना के अभियुक्त कृष्ण मोहन कुमार दवा लाने के नाम पर उक्त वाहन मांग कर ले गया था। उनका इस घटना में कोई संलिप्ता नहीं है। जब्त वाहन के थाना में रहने से बर्बाद होने की संभावना है। अतः बॉण्ड लेकर वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त मोटरसाईकिल के चालक के जैकेट से 180*ml* तथा मोटरसाईकिल के डिक्की से 180*ml* कुल 360*ml* शराब बरामद हुआ है। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार/परिवहन अथवा सेवन दण्डनीय अपराध है। परन्तु बरामद शराब की मात्रा को देखते हुए वाहन से व्यापार की दृष्टिकोण से परिवहन किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है और वाहन स्वामी उक्त घटना के अभियुक्त भी नहीं है। इसलिए उक्त वाहन को राज्यसात् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव सदर थाना (सोनकी) कांड सं0–65/19 दिनांक 18.02.2019 में जब्त वाहन हीरो ग्लैमर मोटरसाईकिल निबंधन सं0–BR06AR-3008 को बंधपत्र, शपथ पत्र/अंडरटेकिंग तथा वाहन के बीमित मूल्य के बराबर एक प्रतिभूति वाहन स्वामी द्वारा दाखिल करने के उपरान्त वाहन को विमुक्त करें।

अभिलेख पुनः दिनांक 28/2/20 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा